

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020

सं. 67/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 572(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि.1600(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 2017, के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में:-

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2020 तक की तिमाहियों से संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-4 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, लेकिन उक्त विवरणी को समयावधि सितम्बर, 2020 के 22वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूर्ण रूप से अधित्यजन किया जाता है जिनके लिए कुल देय केन्द्रीय कर की राशि शून्य है।”

[फा.सं.CBEC-20/06/08/2019-जीएसटी]]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 73/2017 – केन्द्रीय कर दिनांक दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को सा.का.नि. 1600(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 77/2018- केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018, जिसे सा.का.नि. 1254(अ), दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2020

No. 67/2020 – Central Tax

G.S.R. 572(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 73/2017– Central Tax, dated the 29th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) vide number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017, namely :-

In the said notification: -

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of

central tax payable in the said return is nil, for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-4** for the quarters from July, 2017 to March, 2020 by the due date but furnishes the said return between the period from 22th day of September, 2020 to 31st day of October, 2020.”.

[F. No. CBEC-20/06/08/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 73/2017-Central Tax, dated 29th December, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017 and was last amended *vide* notification number 77/2018 – Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 1254(E), dated the 31st December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020

सं. 68/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 573(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-10 में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन वे उक्त विवरणी को समयावधि सितम्बर 2020 के 22वें दिन से दिसम्बर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है।

[फा.सं.CBEC-20/06/08/2019-जीएसटी]]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2020

No. 68/2020 – Central Tax

G.S.R. 573(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act which is in excess of two hundred and fifty rupees, for the registered persons who fail to furnish the return in **FORM GSTR-10** by the due date but furnishes the said return between the period from 22th day of September, 2020 to 31st day of December, 2020.”.

[F. No. CBEC-20/06/08/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director